

कार्यालय जिला पंचायत उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

zp-kanker.cg@nic.in Office Tel. No. 07868-241282, Fax No. 07868-241482

—0— अनापत्ति प्रमाण पत्र—0—

क्रमांक/11715/जि.पं./शिक्षा/अनापत्ति/2016

कांकेर दिनांक 01/12/2016

छत्तसीगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विकास विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर का पत्र क्रमांक/पंचा./पंग्राविवि/22/2016/150 नया रायपुर दिनांक 02.03.2016 एवं विभाग का क्रं. /पंचा-1216/प्रौविवि/22/2015/404 दिनांक 28.07.2015 में दिये गये निर्देशानुसार एवं जिला पंचायत कांकेर के सामान्य प्रशासन समिति दिनांक 28.11.2016 में अनुमोदन के प्रात्याशा में शिक्षक पंचायत को अन्य जिला से कांकेर जिला में स्थानान्तरण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान किया जाता है। विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	कर्मचारी का नाम व पद	विषय	पदस्थ संस्था का नाम /विकासखण्ड/जिला	पदस्थापना हेतु चाही गई संस्था/विकासखण्ड/जिला	स्थानान्तरण चाहने का कारण	स्थानान्तरण संबंधी टीप
1	2	3	4	5	6	7
1	श्रीमती प्रिति राजपूत शिक्षक पंचायत	विज्ञान	पूर्व मा.शा.गौरमाटी वि.ख.सहसपुर लोहारा जिला कबीरधाम	जिला पंचायत कांकेर के विकल्प पर (वि.ख.भानुप्रतापपुर)	पति-पत्नी प्रकरण	पति-पत्नी प्रकरण होने के कारण पति श्री मनोज कुमार चौहान शि. पंचा. शा.उ.मा.वि. साल्हे वि.ख. भानुप्रतापपुर जिला उत्तर बस्तर कांकेर में पदस्थ है।

शर्तें :-

- 01 इस जिले में आने वाले शिक्षक पंचायत संवर्ग को संबंधित जिला पंचायत की सहमति/अनापत्ति आवश्यक है।
- 02 संबंधित जिला पंचायत द्वारा सहमति/अनापत्ति दिये जाने पर ही संबंधित शिक्षक पंचायत को स्थानांतरित किया जावेगा।
- 03 यह अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वयं के व्यय पर पति-पत्नि प्रकरण के तहत दिया जा रहा है।
- 04 शासन के निर्देशानुसार नियमितिकरण न होने,छ.ग.शासन के पति या पत्नि के राज्य शासन के कर्मचारी, शिक्षक पंचायत के सदस्य, राज्य शासन के निगम, मण्डल एवं आयोग के कर्मचारी न होने तथा पूर्व में इस सुविधा का लाभ मिलने संबंधी पुष्टि होने पर दी गई सहमति किसी भी समय निरस्ती योग्य होगी एवं संबंधित के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
- 05 यह अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी दिनांक से दिनांक 29.12.2016 तक स्थानांतरण मान्य योग्य होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
 जिला पंचायत
 उत्तर बस्तर कांकेर

कार्यालय जिला पंचायत उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

zp-kanker.cg@nic.in

Office Tel. No. 07868-241282, Fax No. 07868-241482

-: ज्ञापन :-

क्रमांक/11717/जि.पं./व्या.पं./2015-16/

कांकेर,दिनांक 01/12/2016

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत
सुकमा (छ.ग.)

विषय :- शिक्षक (पंचायत) संवर्ग के कर्मचारियों के पति - पत्नि स्थानांतरण हेतु अनापत्ति / सहमति के संबंध में । (इस जिले में आने वाले)

संदर्भ :- छ.ग. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के पत्र क्रमांक /पंचा. /पंग्रावि/22/2016/150 नया रायपुर दिनांक 02.03.2016 एवं विभाग का अनुदेश क्रमांक / पंचा- 1216 / पंग्रावि/22/2015 /404 दिनांक 28.07.2015


---0---

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के परिपालन में शिक्षक (पंचायत) संवर्ग के कर्मचारियों का पति- पत्नि आधार पर स्थानांतरण हेतु आवेदन जिला पंचायत को प्राप्त हुआ है । परीक्षण पश्चात आवेदन को जिला पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति की बैठक दिनांक 28.11.2016 में अनुमोदन उपरांत, स्थानांतरण करने हेतु सहमति आपकी ओर प्रेषित की जा रही है । विवरण निम्नानुसार है :-

अनुक्रमांक	शिक्षक पंचायत संवर्ग का नाम	विषय	पदस्थ संस्था का नाम /विकासखण्ड/जिला	पदस्थ जिले का नाम	पदस्थापना हेतु चाही गई जिला	स्थानान्तरण चाहने का कारण	नियुक्ति / नियमितिकरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्री पुरन लाल जुरी जीव व्याख्याता पंचायत	जीव विज्ञान	शा.उ.मा.वि. पुसपाल विकास खण्ड छिंदगढ़ जिला सुकमा	सुकमा	जिला कांकेर	पति- पत्नि	01-08-2008 01-08-2011

तै :-

01. इस जिले में आने वाले शिक्षक पंचायत संवर्ग को संबंधित जिला पंचायत की सहमति /अनापत्ति आवश्यक है ।
02. संबंधित जिला पंचायत द्वारा सहमति/अनापत्ति दिये जाने पर ही संबंधित शिक्षक पंचायत संवर्ग को जिला पंचायत के विकल्प पर स्थानांतरित कर भारमुक्त किया जावेगा ।
03. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वयं के व्यय पर पति-पत्नि प्रकरण के तहत दिया जा रहा है ।
04. शासन के निर्देशानुसार नियमितिकरण न होने, छ.ग. शासन के पति या पत्नि के राज्य शासन के कर्मचारी, शिक्षक पंचायत के सदस्य, राज्य शासन के निगम, मण्डल एवं आयोग के कर्मचारी न होने तथा पूर्व में इस सुविधा का लाभ मिलने संबंधी पुष्टि होने पर ही गई सहमति किसी भी समय निरस्ती योग्य होगी एवं संबंधित के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी ।
05. संबंधित शिक्षक पंचायत संवर्ग को जिला पंचायत के द्वारा जिले में रिक्त पद के विरुद्ध पदस्थ किया जावेगा जिसमें किसी प्रकार के अभ्यावेदन मान्य नहीं होगा ।
06. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी दिनांक से 1 माह तक स्थानांतरण मान्य योग्य होगा ।
07. शिक्षक पंचायत संवर्ग को उनकी पूरी सेवा काल में एक बार ही पति - पत्नि एक स्थान पर पदस्थापना का अवसर प्राप्त होगा ।


 मुख् कार्यपालन अधिकारी
 जिला पंचायत
 उत्तर बस्तर कांकेर